न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः— उम्मेदी लाल मीना (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :— 69 / 2025

स्टेट जरिये श्री रफीक मोहम्मद, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़

अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ —प्रार्थी

—:बनाम:—

पवन कुमार पुत्र नौरंग लाल (विक्रेता)
मैसर्सः—गोपाल गोयल / यश ट्रेडिंग कंपनी, पुरानी गुड़ मंडी, सोनी मार्केट के पीछे, हनुमानगढ़ टाउन, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
निवासीः—वार्ड नं. 16, अम्बेडकर कॉलोनी, गली नं. 04, नजदीक पार्क, हनुमानगढ़ टाउन, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
गोपाल गोयल पुत्र पवन कुमार (मालिक)
मैसर्सः— गोपाल गोयल / यश ट्रेडिंग कंपनी, पुरानी गुड़ मंडी, सोनी मार्केट के पीछे, हनुमानगढ़ टाउन, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
निवासीः—अम्बेडकर कॉलोनी, गली नं. 04, नजदीक पार्क, हनुमानगढ़ टाउन, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
राजेन्द्र कुमार बलान पुत्र ओमप्रकाश (हॉलसेलर)
मैसर्सः—रांझा राम एण्ड संस, मैन बाजार, श्री विजयनगर, जिला अनूपगढ़।
निवासीः—वार्ड नं. 03, श्री विजयनगर, जिला अनूपगढ़।
मैसर्सः—एम. के. ट्रेडर्स (वितरक)
सी—225, अरावली विहार, मछेरा, जिला जयपुर।

—अप्रार्थीयान

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 (2) (2) एवं धारा 51 एवं 58

उपस्थितः—

1. श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी राज्य पक्ष।
2. श्री विरेन्द्र सिंह मेहता, अभिभाषक अप्रार्थी सं. 02 ता 04।

—:निर्णयः—

दिनांक :—02.04.2026

प्रार्थी श्री रफीक मोहम्मद, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री रफीक मोहम्मद दिनांक 17.05.2023 को समय 12.25 बजे मय साथी टीम व समान के साथ वास्ते खाद्य पदार्थ दुकान निरीक्षण एवं नमूनीकरण मैसर्सः— गोपाल गोयल / यश ट्रेडिंग कंपनी, पुरानी गुड़ मंडी, सोनी मार्केट के पीछे, हनुमानगढ़ टाउन, तहसील व जिला हनुमानगढ़ पर पहुंचे। वहां पर पवन कुमार पुत्र नौरगलाल (विक्रेता) निवासी—वार्ड नं. 16, अम्बेडकर कॉलोनी, गली नं. 04, नजदीक पार्क, हनुमानगढ़ टाउन, तहसील व जिला हनुमानगढ़ मौके पर मिला। उक्त विक्रेता के पास आमजन के बेचान वास्ते कार्टून में लगभग 75 पैकेट X 200 मिलीलीटर वजनी Cow Ghee (Shraddha Brand) रखा हुआ था। जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जांच वास्ते क्रय करने की इच्छा व्यक्त की तथा विक्रेता को मौके पर ही फार्म नं. 5 ए भरकर दिया। जिस पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। विक्रेता को मौके पर ही उक्त Cow Ghee (Shraddha Brand) की 04 पैकेट X 200 मिलीलीटर वजनी के खरीद मूल 336 / —रूपये नगद दिया। जिसकी कैश मीमो बनवाकर ली। प्रार्थी द्वारा सैम्पल लेने से पूर्व फार्म नं 5 ए की प्रति पर नोटिस देकर यह बता दिया कि नमूना वास्ते जांच लिया गया है। फार्म 5 ए पर विक्रेता तथा गवाहान ने पढ़कर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये तथा तस्दीक कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नं. 5 ए की प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खरीदशुदा कुल 04 पैकेट X 200 मिलीलीटर वजनी Cow Ghee (Shraddha Brand) पर चार लेबल तैयार कर लेबल पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर चिपकाया ऊपर से प्रत्येक सील्ड पैकेट को मोटे खाकी कागज से लपेटा किनारों को सफाई से मोड़कर उन पर खाद्य नमूना कोड व अनुक्रमांक एके—2649 एवं अन्य विवरण दर्ज कर चारों पैकेटों पर चिपकाया। प्रत्येक पैकेट को मोटे खाकी कागज में लपेटा ऊपर से नीचे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ एवं जिला अभिहित अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित पेपर स्लिप कोड नं. एके—2649 को चिपकाया। प्रत्येक पैकेट को नियमानुसार मोटे सफेद धागे से बांधा व चार—चार जगह से सील चपड़ी किया। सील्ड नमूने पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा

न्याय निर्णायक अधिकारी एवम्
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ

अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे में लिया। समस्त की गई कार्यवाही की मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की गई, जिस पर विक्रेता एवं गवाहान को समझा व सुनाकर हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 06 की प्रतियां तैयार की एवं प्रत्येक फार्म पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया गया था। इसके पश्चात एक नमूना भाग मय फार्म नं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सील मोहर कर श्रीमान खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर को जांच हेतु जमा कराया गया। फूड एनालिस्ट पब्लिक हैल्थ लैबोरेट्री से नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ ने प्रार्थी (आवेदक) को नमूने की जांच रिपोर्ट क्रमांक 743 दिनांक 30.05.2023 जिसके अनुसार नमूना जांच Substandard & Contravenes of Regulation Food प्राप्त होना पाया गया, भेजकर उक्त प्रकरण से संबंधित सभी दस्तावेज अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश करने को कहा गया। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ ने विक्रेता को पुनः जांच हेतु पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2023/10507-08 दिनांक 08.06.2023 द्वारा रजिस्टर्ड डाक के द्वारा सूचित किया। नमूना विक्रेता ने नमूने के दूसरे भाग की रैफरल फूड लैब से जांच हेतु निर्धारित अवधि या उसके पश्चात कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कार्यालय के पत्रांक एफएसएसए/2024/7679 दिनांक 12.06.2024 द्वारा खाद्य विक्रेता को 07 दिवस में फर्म का खाद्य लाईसेंस/प्रोपराईटर पहचान पत्र/जीएसटी रजिस्ट्रेशन एवं संबंधित माल Cow Ghee (Shraddha Brand) का क्रय बिल प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। जिसके प्रतिउतर में खाद्य विक्रेता द्वारा मैसर्सः-रांझा राम एण्ड संस, मैन बाजार, श्री विजयनगर, जिला अनूपगढ़ का खरीद का बिल प्रस्तुत किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कार्यालय के पत्रांक एफएसएसए/2024/9059 दिनांक 10.07.2025 द्वारा खाद्य होलसेलर को 07 दिवस में फर्म का खाद्य लाईसेंस/प्रोपराईटर पहचान पत्र/जीएसटी रजिस्ट्रेशन एवं संबंधित माल का क्रय बिल प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। जिसके प्रतिउतर में खाद्य होलसेलर द्वारा खाद्य वितरक मैसर्स-एम. के. ट्रेडर्स, सी-225, अरावली विहार, मछेरा, जिला जयपुर का बिल प्रस्तुत किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कार्यालय के पत्रांक एफएसएसए/2024/3160 दिनांक 05.03.2025 द्वारा खाद्य वितरक को 07 दिवस में फर्म का खाद्य लाईसेंस/प्रोपराईटर पहचान पत्र/जीएसटी रजिस्ट्रेशन एवं संबंधित माल का क्रय बिल प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। जिसके जबाव में खाद्य वितरक द्वारा कोई प्रतिउतर नहीं दिया गया। आवेदक द्वारा अनुसंधान कार्य पूर्ण होने के बाद समस्त कागजात अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ को वास्ते लिखित अभियोजन स्वीकृति प्रस्तुत किये। अभिहित अधिकारी ने समस्त कागजातों का अवलोकन कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को न्याय निर्णयन आवेदन सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया। इस प्रकरण में अप्रार्थी ने Substandard & Contravenes of Regulation Food Cow Ghee (Shraddha Brand)का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (2) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 51 एवं 58 में वर्णित है।. उपलब्ध कागजात के अवलोकन के आधार पर Cow Ghee (Shraddha Brand) विक्रेता एवं मालिक एफएसएसए 2006 की धारा 31 की श्रेणी में आते हैं। इसलिए विक्रेता पर नियमानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीयान को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। जिसकी पावती संलग्न पत्रावली है।

अभिभाषक अप्रार्थी सं. 02 ता 04 द्वारा जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी-1 पवन कुमार फर्म मैसर्स-यश ट्रेडिंग कंपनी पर विक्रेता की हैसियत कार्यरत नहीं था बल्कि वह माल ढोने का काम करता था तथा माल को वाहन द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता था तथा उक्त फर्म भी उसके नाम से नहीं है लेकिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा गलत रूप से उक्त व्यक्ति को विक्रेता मानते हुये नमूना लेकर पक्षकार बनाया गया है जो असंवैधानिक है तथा अप्रार्थी-1 की मृत्यु दिनांक 05.09.25 को हो गई जिस कारण से अप्रार्थी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही नहीं चलाई जा सकती। अप्रार्थी-1 का मृत्यु प्रमाण पत्र जबाव प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। अप्रार्थी 01 लगायत 03 फर्म धारा 80(बी)(2)(डी)(i) एफएसएसए 2006 के तहत अप्रार्थी-1 लगायत 03 गारंटी का बचाव पाने का अधिकारी है। अप्रार्थी-4 फर्म मैसर्स-एम के ट्रेडर्स, सी-225, अरावली विहार, मछेरा, जिला जयपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ सिल्ड हालत में लेकर बेचा गया था। उसके द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ का कोई निर्माण नहीं किया गया था तथा समय पर ट्रांसपोर्ट पर उक्त खाद्य पदार्थ का बिल गुम हो जाने के कारण पेश करने में असमर्थ रहा जबकि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लेते समय लेबल पैकेट पर निर्माता फर्म का नाम जांचा गया था व लेबल पर मुद्रित निर्माता फर्म का नाम स्पष्ट रूप से अंकित होने के बावजूद निर्माता फर्म को पक्षकार नहीं बनाकर भूल की है। उक्त नमूने की जांच में फैटी एसीड प्रोफाईल की जांच की है जबकि दिनांक 17.05.2023 को घी में फैटी एसीड प्रोफाईल की जांच में कानूनन दो वर्ष की छूट का प्रावधान अधिसूचना के तहत था जिस कारण उक्त जांच पैरामीटर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवम्
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ

अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

को रिपोर्ट में शामिल नहीं किया जा सकता तथा उक्त पैरामीटर जांच रिपोर्ट में फोरेन फैट किस प्रकृति का है यह कही भी उल्लेखित नहीं है। कथित खाद्य वस्तु घी जो कि दुग्ध देने वाले पशुओं से प्राप्त होता है तथा दुग्ध देने वाले पशुओं को जो भी पशु आहार दिया जाता है तथा उसकी प्रकृति को बनाये रखने के लिये वसा, खल, चूरी, फैट खिलाई जाती है उसी कारण से अप्रत्यक्ष रूप से दूध में अन्य स्त्रोतों से वसा आने की संभावना बनी रहती है जिससे प्राप्त घी भी प्राकृतिक रूप से प्रभावित हो सकता है जिस कारण से अप्रार्थीगण व निर्माता फर्म को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उक्त नमूने में आयोडीन वैल्यू कुछ अंश मात्र ऊपर आ जाने के कारण खाद्य विश्लेषक ने सब–स्टैण्डर्ड घोषित किया है जबकि उक्त मानक पूर्ण रूप मौसम, वातावरण, तापमान, रख रखाव पर निर्भर करते है। खाद्य पदार्थ नियमानुसार निर्धारित मानकों पर पैक करके विक्रय होता है। तकनीकी कारणों से मानकों का अस्थिर होना प्राकृतिक रूप से निर्भर होता है जो मानव नियंत्रण से बाहर है। इस कारण विपक्षीगण को दोषी ठहराया जाना न्यायोचित नहीं है। अंत में अभिभाषक अप्रार्थीयान ने उक्त प्रकरण का निरस्त किये जाने बाबत निवेदन किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लैब रिपोर्ट के अनुसार अधिक से अधिक जुर्माना अधिरोपित करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों के कथनों पर गौर किया व पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन संख्या 08110005470028702055/2025 दिनांक 24.09.25 का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि अप्रार्थी–1 की मृत्यु दिनांक 05.09.25 को हो चुकी है अतः अप्रार्थी–1 के विरूद्ध कार्यवाही ड्राप की जाती है। प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का शेष अप्रार्थीयान द्वारा खण्डन किसी प्रकार का साक्ष्य आधारित नहीं किया गया है और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों से प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीयान से निरीक्षण के दौरान क्रय किये गये Cow Ghee (Shraddha Brand) की जांच में Substandard & Contravenes of Regulation की रिपोर्ट आई है। ऐसी स्थिति में हम अन्य साक्ष्यों को तलब करना आवश्यक नहीं समझते हैं और स्पष्ट होता है कि अप्रार्थीयान द्वारा Substandard & Contravenes of Regulation Cow Ghee (Shraddha Brand) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अतः अप्रार्थीयान द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थीयान के Substandard & Contravenes of Regulation कृत्य के लिए धारा 51 एवं 58 के तहत अप्रार्थी–02 से 04 पर संयुक्त रूप से 10,000/–(अखरे रूपये दस हजार मात्र) की शास्ति आरोपित की जाकर यह आदेश दिया जाता है कि लगाई गई शास्ति राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में निर्णय से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें। निर्णय की एक–एक प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 02.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

(उम्मेदी लाल मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़